न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–759/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

अगस्तीन तोपनो..आवेदक/विक्रेता } **प्रथम पक्ष**

रफेल आईन्द.. क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

05.02.2024

आदेश

आवेदक श्री अगस्तीन तोपनो पिता पुरण तोपनो ग्राम–दियांकेल, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया हैः–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
दियांकेल	51	38	1034	0.08½

आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री अगस्तीन तोपनो पिता पुरण तोपनो ग्राम–दियांकेल, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री रफेल आईन्द पिता सोमरा आईन्द ग्राम–गरगंज, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते है।

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण हेतु बिक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तथा खतियान की छाया प्रति एवं लगान की रसीद 0890612324 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 46 दिनांक 03.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत

का नाम मसीदास महतो वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पोता हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 36 पर जमाबंदी दर्ज है।

अंचल अधिकारी, तोरपा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही जिला के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 254 दिनांक 08.01.2024 के साथ अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/183003 दिनांक 20.10.2023 वे आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2023/370022 दिनांक 20.10.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 46 दिनांक 03.02.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक श्री अगस्तीन तोपनो पिता पुरण तोपनो ग्राम–दियांकेल, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी को क्रेता श्री रफेल आईन्द पिता सोमरा आईन्द ग्राम–गरगंज, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी के साथ ग्राम दियांकेल के खाता सं0 38, खेसरा संख्या 1034, रकबा 0.08½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.25 13:49:46 +05:30
Location: 192.168.1.104